अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 02/2021.(GCMS : 2021/61) शेर सिंह पुत्र हरनारायण सिंह जाति ब्राह्मण आयु 82 वर्ष निवासी 2 एमएल नाथवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर 2. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र शेर सिंह जाति ब्राह्मण निवासी 2 एमएल नाथवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>22.06.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री शेर सिंह एंव रेस्पोडेंट दिनेश कुमार स्वयं उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि :

प्रार्थी शेर सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 23 के तहत इस कथन के साथ पेश किया था कि प्रार्थी स्वंय का भरण पोषण करने में असमर्थ है। प्रार्थी के चार पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र, कपूर चन्द्र शर्मा व दिनेश कुमार शर्मा है। जिसमें से प्रार्थी अपने छोटे पुत्र दिनेश कुमार शर्मा के पास रहता है क्योंकि प्रार्थी के दो पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र शर्मा राजकीय सेवा से सेवानिवृत है तथा कपूर चन्द्र शर्मा विकलांग है। प्रार्थी अपने छोटे पुत्र दिनेश कुमार शर्मा के पास रहता है। प्रार्थी की पत्नी का देहान्त हो चुका हैं तथा प्रार्थी के पास गांव 2 एमएल नाथवाला में 45 गुणा 120 फुट का मकान है जिसमें से 45 गुणा 90 फुट मकान को अप्रार्थी व अप्रार्थी की पत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा द्वारा एकराय होकर प्रार्थी को झांसे में रखकर अपने हक में उपहार करवा लिया तथा शेष 45 गुणा 30 फुट जगह पर प्रार्थी काबिज है। उक्त मकान मे से 45 गुणा 45 फुट जगह पर प्रार्थी द्वारा अपनी खुद की आय से हॉल बनाया हुआ है जिसमें प्रार्थी किराणा की दुकान चलाता है तथा रहता है। जिसमें 7–8 लाख रूपये का सामान पड़ा है। दिनांक 11.0[illegible] को अप्रार्थी व अप्रार्थी की पत्नी सुनीता शर्मा द्वारा एकराय होकर प्रार्थी के साथ मारपीट की तथा उक्त हॉल की चाबी छीन ली और प्रार्थी के पास करीब 15 तोले

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सोना व 20 तोले चांदी की पायजेब थी, जो अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से छीनकर अपने कब्जे में कर ली। उक्त घटना की सूचना प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर में दी थी जिस पर जांच अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझाईश का प्रयास किया लेकिन अप्रार्थी नहीं माना और ना ही प्रार्थी की जगह की चाबी दी। तब से अप्रार्थी व अप्रार्थी की पत्नी सुनीता द्वारा आये दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करते रहते है और प्रार्थी की सेवा चाकरी नहीं करते है। प्रार्थी के पास अपनी जीविका का कोई साधन नहीं है। अपने भरण पोषण व गुजारे भत्ते के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे है। अप्रार्थी सेकेण्ड ग्रेड अध्यापक है जो कि राजकीय सेवा में है। जो करीब 60 हजार रूपये मासिक आमदनी प्राप्त करता है। जिससे प्रार्थी को उसके गुजारे भत्ते व दवाई आदि खर्च के लिए 20 हजार रूपये दिलवाऐ जावे।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2021 को आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर उसने यह अपील पेश की है।

उनका आगे कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध 3000/— रूपये भरण पोषण उसका नैतिक दायित्व मानते हुए प्रार्थी अपीलांट को माह खर्च 2021 से प्रत्येक माह की दस तारीख से पूर्व दिलवाये जाने का आदेश पारित किया है जबकि रेस्पोडेंट राज[illegible] अध्यापक के पद पर कार्यरत है तथा उसका वेतन 60 हजार रूपये प्रति माह है। **प्रार्थी अपने जीवनयापन व दवाई आदि के लिए तथा सम्मान पूर्वक जीवनयापन हेतु व रेस्पोडेंट के जीवन स्तर मुताबिक जीवनयापन का अधिकार है इस हेतु अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 2 से उसे 20,000/— प्रति माह की राशि दिलवाई जावे।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब में केवल मात्र यह उजर किया है कि अपीलांट के तीन पुत्र सुभाष चन्द्र, कपूर चन्द्र व कैलाश चन्द्र है जो साधन सम्पन्न है और अपीलांट अपने बडे पुत्र सुभाष चन्द्र के साथ रह रहा है और दुरभावनावश उनके साथ मिलकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। **अपीलांट द्वारा अपनी सम्पत्ति रेस्पोडेंट संख्या 2 के हम में दान पत्र द्वारा निष्पादित करना बताया** तथा दिनांक 31.03.2011 को व 18.07.2011 को पुनः जरिये दान पत्र सम्पत्ति देना बताया है जबकि उक्त अधिनियम माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण हेतु बनाया और उक्त अधिनियम अनुसार जब रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपीलांट से उसकी रेस्पोडेंट संख्या 2 के साथ रहते हुए उसकी सम्पत्ति हड़पने के आश्य से दिखावटी लाड प्यार व देखभाल का दिखवाकर उसे विश्वास में लेकर समस्त सम्पत्ति व स्थावर सम्पत्ति जिसमें उसके सोने चांदी के आभूषण आदि छीनकर, मारपीट कर घर से निकाल दिया और भरण पोषण करने से इन्कार कर दिया जिस हेतु प्रार्थी अपीलांट द्वारा पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर व श्रीमानजी के समक्ष भी न्याय के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त तथ्य पत्रावली मं मौजूद थे। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 23 में प्रावधान होने के बावजूद उनकी अनदेखी कर उसके बारे में किसी प्रकार का भी निर्णय में उल्लेख न कर प्रार्थी अपीलांट को उक्त जंगम सम्पत्ति व स्थावर सम्पत्ति न दिलवाकर कानूनी भूल की है। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिले खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 2 का सबसे छोटा [illegible] स्नेह व विश्वास करता था और लम्बे [illegible] रहकर किरयाना की दुकान स्वयं संचालित कर स्वाभिमान से जी[illegible]यापन कर था। रेस्पोडेंट संख्या 2 व उसकी पत्नी सुनीता शर्मा के लालच व दूरभावना आने से प्रार्थी अपीलांट को मारपीट कर घर से निकाले दिया और उसकी दुकान पर काबिज हो गये व

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दुकान में पड़ा सामान भी खुर्दबुर्द कर दिया। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पारित आदेश निरस्त कर प्रार्थी अपीलांट की जंगम सम्पत्ति व स्थावर सम्पत्ति रेस्पोडेंट संख्या 2 से वापिस दिलवाई जावे व भरण पोषण हेतु 20,000/— रूपये प्रति माह दिलवाये जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस के अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी अपने सबसे बडे पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा, बी—2, मॉडल टाउन सैकिन्ड, श्रीगंगानगर के पास निवास कर रहे है। प्रार्थी वृद्ध आवश्यक है लेकिन अपना भरण पोषण करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। **अपीलार्थी ने अपने तीनों पुत्रों को प्रकरण में न तो पक्षकार बनाया है और ना ही उनसे भरण पोषण की मांग की** है जबकि शेष तीनों पुत्र अप्रार्थी से ज्यादा साधन सम्पन्न हैं। **सुभाष चन्द्र शर्मा, रिटायर्ड लैक्चरार** है एवं उसे पास स्वयं का **बी—2 मॉडल टाउन सैकिण्ड में साधन सम्पन्न निर्मित मकान** है जिसमें वह छात्र छात्राओं को **ट्यूशन पढ़ाकर आय अर्जित** करता है। इसके अलावा सुभाष चन्द्र शर्मा के पास **इसी मकान के साथ वाले मकान का भी स्वामित्व** है जिसके **किराये की आमदनी सुभाष चन्द्र शर्मा को** होती है। अपीलार्थी का **दूसरा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक से ऐ.जी. एम. के पद से हाल में रिटायर हुआ** है उसके द्वारा **नई दिल्ली** में लगभग **दो करोड रूपये का स्वयं का मकान खरीद कर रिहायश** की है एवं उसके परिवार को **पेन्शन एवं अन्य स्त्रोतों से अच्छी आय** है। अपीलार्थी का तीसरा पुत्र कपूर चन्द्र शर्मा विकलांग नहीं है वरन तीन साल पहले कपूर चन्द्र शर्मा को पैरालाईसिस का अटैक [illegible] था जिसके ईलाज के बाद कपूर चन्द्र आज पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन [illegible] रहा है तथा चक 2 एम एल नाथावाला में निवास करता है [illegible] स्वयं का परचून एवं आटा चक्की का व्यापार करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी के पास 2 एम एल नाथावाला में मकान संख्या 65 व 66 कुल पैमायशी 45 गुणा 90 फुट मकान खरीद किया हुआ है जिस पर अप्रार्थी ने अपनी स्वयं की कमाई से निर्माण कर आवास निर्मित किया। प्रार्थी के द्वारा अपनी सम्पत्तियों के विभाजन के दौरान उक्त वर्णित 45 गुणा 90 फीट के आवास में से बिना किसी शर्त, प्यार एवं स्नेह के अधीन दिनांक 06.10.2003 को मकान संख्या 65 व 66 में से 30 गुणा 45 फीट, दिनांक 31.03.2011 को मकान संख्या 66 में से 6 फीट गुणा 45 फीट एवं दिनांक 18.07.2011 को मकान संख्या 65 में से 36 गुणा 45 फीट एवं मकान संख्या 66 में से 18 गुणा 45 फीट को दान पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करवाया।

उनका आगे यह भी कथन था कि मकान में बनी दुकान अप्रार्थी की पत्नी चलाती थी जो अपीलार्थी के रेस्पोडेंट से नाराज हो जाने के कारण माह दिसम्बर 2019 से बंद है।

उनका आगे यह भी कथन था कि माह फरवरी में अपीलार्थी एवं अप्रार्थी के नाम से अप्रार्थी की स्वअर्जित आय से बनायी गई संयुक्त एफ.डी. आर. का पैसा प्रार्थी ने अपने अन्य पुत्रों के दबाव में आकर बैंक से अपने खाता में अन्तरित करवाकर एवं अन्य समस्त दस्तावेज लेकर अपने बड़े पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा के पास रिहायश कर ली।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी की पत्नी सुनीता के द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करने से इन्कार किया गया, हॉल की चाबी छीनने से एवं प्रार्थी के कथि[illegible] सोना व 20 तोले चांदी की पायजेब छीनने के तथ्यों [illegible] तथ्य को भी इन्कार किया कि प्रार्थी को घर से ब[illegible] पुलिस सूचना से अथवा समझाईश से इन्कार कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम से संयुक्त रूप से पंजाब नेशनल बैंक में एफ.डी.आर थी जसमें पैसा अप्रार्थी का

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

था लेकिन वरिष्ठ नागरिक को ब्याज राशि अधिक मिलने के कारण प्रथम आवेदनकर्त्ता प्रार्थी एवं द्वितीय आवदेनकर्त्ता अप्रार्थी को बनाया हुआ था। एफ.डी.आर. 15,80,385/— रूपये की संयुक्त थी जो कि दिनांक 08.01.2018 से 08.01.2020 तक प्रभावी थी। दिनांक 08.01.2020 को यह एफ.डी.आर. स्वतः ही 18,05,615/— रूपये के लिए रिन्यूवल हो गई लेकिन प्रार्थी के द्वारा बिना अप्रार्थी को सूचित किये एवं अपने अन्य तीनों पुत्रों के अनुचित दबाव में आकर एवं अप्रार्थी को हानि पहुंचाने के आशय से दिनांक 07.02.2020 को उक्त एफ.डी.आर. अपने पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा के प्रभाव से मध्य में ही तुड़वाकर 18,28,000/— रूपये अपने बैंक खाता संख्या 3959000100077984 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर में अन्तरित करवा लिये और उसके उपरान्त अपने अकेले के नाम से नई एफ.डी.आर. बनवा ली। इसके अतिरिक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम से एफ.डी.आर. संख्या 121222 राशि 3,00,000/—, एफ.डी.आर. संख्या 127871 राशि 3,00,000/— थी, जो प्रार्थी के द्वारा अपने कब्जे में कर ली एवं इसी प्रकार प्रार्थी के स्वयं के नाम से एक्ल रूप में दो एफ.डी.आर. 92,997/— एवं 9,57,379/— रूपये की पंजाब नेशनल बैंक की हैं। इस प्रकार प्रार्थी के पास लगभग 37,00,000/— रूपये बैंकों में एफ.डी.आर. के रूप मे एवं बैक खाता में दस लाख रूपये नगद जमा है इस प्रकार प्रार्थी के पास लगभग 47 लाख रूपये बैंकों में जमा है एवं इस राशि से प्रार्थी लगभग 25 से 30 हजार रूपये प्रति माह ब्याज राशि का अर्जन कर रहा है जिसकी वह आयकर विवरणिका दाखिल कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के द्वारा अपनी कृषि भूमि वाके ग्राम लेघा भाणा, तहसील व जिला भिवानी को विक्रय कर इस विक्रय से प्राप्त तमाम राशि 77,55,000/— रूपये बंटवारानाम दिनांक 05.05.2012 को निष्पादित करते हुए अपने तीनों पुत्रों सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र शर्मा एवं कपूर चन्द्र शर्मा में बहिस्सा बराबर बराबर वितरीत की, जिसके

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 27,00,000/— रूपये करीब राशि प्राप्त हुई। इसी बंटवार से प्रार्थी ने मकान संख्या 65 व 66 अप्रार्थी के हिस्सा में आना स्वीकार किया एवं इस दिनांक से पूर्व ही बिना किसी शर्त पंजीकृत उपहार पत्रों से आवास अप्रार्थी के नाम से अन्तरित किया।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी के पास आय के साधन है एवं ब्याज से आय अर्जित हो रही है एवं प्रार्थी अपना भरण पोषण करने में समर्थ हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है इसलिए हस्तगत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की हैं

उनका आगे यह भी कथन था कि अधिनियम की मंशा माता पिता को ऐसी सम्पत्ति वापिस दिलवाना नहीं है जिसमें माता पिता के द्वारा वेग तथ्य अंकित किये गये है। जहां तक घर से बाहर निकालने, सोना चांदी छिनने के तथ्य अंकित किये है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके अभाव में तथ्य स्वतः की वेग साबित होते है। अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग उठाने का भरपूर प्रयास प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा किया गया है, इसलिए अपीलार्थी की अपील निरस्त करने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी शेर सिंह एक वरिष्ठ नागरिक है, अप्रार्थी दिनेश कुमार उनका पुत्र है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने हस्तगत अपील पेश की है। अप्रार्थी दिनेश कुमार एक राजकीय अध्यापक है जो गांव 2 एम एल नाथावाला में 45 गुणा 120 फुट मकान के 45 गुणा 90 फुट मकान में [illegible] करता है, जो अपीलार्थी ने उपहार स्वरूप दान के रूप में अप्रार्थी के नाम [illegible] करवाई थी तथा शेष 45 गुणा 30 फीट पर अपीलार्थी स्वयं काबिज है। अपीलार्थी ने उक्त गांव 2 एम एल नाथावाला में 45 गुणा 120 मकान के 45 गुणा 90 फुट मकान को अप्रार्थी दिनेश कुमार से वापिस दिलवाने तथा भरण पोषण हेतु राशि 20,000/— रूपये प्रति माह दिलवाने हेतु एक प्रकरण धारा 21 माता पिता एवं वरिष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत एक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 16.03.2021 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:

> प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अप्रार्थी के जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का प्रार्थी के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है। अतः अप्रार्थी प्रार्थी को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए 3000/— रूपये कुल 3000/— रूपये माह मार्च 2021 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थी को अदा करेगा। उक्त राशि अप्रार्थी को प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी जिसके लिये प्रार्थी अपना बैक खाता अप्रार्थी को अपने स्तर से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगा।
>
> -sd-
> (उम्मेद सिंह रतनू)
> उपखण्ड मजिस्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 16.03.2021 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधि[illegible]7 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है औ[illegible] के आदेश दिनांक 16.03.2021 को निरस्त कर अपीलांट की जंगम स[illegible] व स्थावर सम्पत्ति रेस्पोडेंट संख्या 2 से वापिस दिलवाने व भरण पोषण हेतु 20,000/— प्रति माह दिलवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> 2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।
> 2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार अपीलार्थी के चार पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र, कपूर चन्द्र शर्मा व दिनेश कुमार शर्मा है जिनमें से दो पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा एवं कैलाश चन्द्र शर्मा राजकीय सेवा से सेवानिवृत हुए है तथा कपूर चन्द्र शर्मा अपना व्यापार करता है तथा अप्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा अपीलार्थी का सबसे छोटा पुत्र है जो सैकिण्ड ग्रेड अध्यापक है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी शेर सिंह के बैंक के खातों के स्टेटमैंट एवं एफ.डी.आर की प्रति उपलब्ध है एवं इसी प्रकार अपीलार्थी स्वयं ने अपने खातों की स्टेटमैंट प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी द्वारा किये गये लेन–देन और बकाया राशि से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी स्वयं के पास अपने भरण पोषण की राशि उपलब्ध है।

अपीलार्थी ने थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर एवं कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के नाम लिखी गए दो प्रार्थना पत्रों की प्रतियां अपील के साथ प्रस्तुत की है परन्तु उन पर किसी प्रकार की प्राप्ति का अंकन नहीं है जिससे ये ज्ञात नहीं होता है कि प्रार्थी ने वास्तव में ये प्रार्थना पत्र कहीं प्रस्तुत किये है अथवा नहीं?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विवादित मकान 2 एमएल नाथावाला में 45 गुणा 120 फुट जिसे अपीलार्थी ने अप्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा को उपहार स्वरूप दान के रूप में पंजीकृत करवाया है जो अप्रार्थी दिनेश कुमार को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुआ है जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में परस्पर सहमति से घरू बंटवारा की प्रति उपलब्ध है जिसके अनुसार अपीलार्थी के तीन पुत्रों सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र शर्मा एवं कपूर चन्द शर्मा को गांव लैघा (भानगढ) तहसील व जिला भिवानी (हरियाणा) मे बेचान की गई 11 किला कृषि भूमि में से प्राप्त होने वाली राशि में से प्रत्येक का तीसरा हिस्सा की राशि नकद उक्त मिकर सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र शर्मा एवं कूपर चन्द्र शर्मा ने प्राप्त कर ली है। चक 2 एम एल नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित भूखण्ड संख्या 65 व 66 तथा चिपती हुई खांचा भूमि पैमायशी 45 गुणा 25 तामीर शुदा मे उक्त तीनों मिकरों का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा। इसीप्रकार मिकर दिनेश कुमार शर्मा चक 2 एम एल तहसील व जिला श्रगंगानगर मे स्थित भूखण्ड संख्या 65 व 66 प्रत्येक का साईज 45 गुणा 45 फीट कुल 45 गुणा 90 फीट तामीरशुदा मकान एवं भूखण्ड संख्या 66 के दक्षिणी भाग के साथ चिपती खांचा भूमि में तामीरशुदा दूकानें जिनमें वर्तमान में आटा चक्की व किरयाणा स्टोर का कार्य चल रहा है। उपरोक्त सभी पर मिकर दिनेश कुमार शर्मा का हक व अधिकार होगा। अन्य मिकरान का उपुर्यक्त भूखण्डों व दुकानों में कोई हक व हिस्सा नही होगा। इस प्रकार गांव लेघा (भानगढ) वाली बेचान की गई भूमि से प्राप्त होने वाली राशि में से मिकर दिनेश कुमार शर्मा का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा। उक्त घरेलू बंट[illegible] [illegible]ंक 05.05.2012 को हुआ तथा जिस अपीलार्थी [illegible] सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र शर्मा, कपूर चन्द शर्मा एवं [illegible] कुमार कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है तथा दो गवाहों कैलाश शर्मा एवं सुखराज चारण के है तथा नोटेरी द्वारा सत्यापित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त घरेलू बंटवारों से स्पष्ट है कि उक्त विवादित मकान संख्या 65 व 66 प्रत्येक का साईज 45 गुणा 45 फीट कुल 45 गुणा 90 फीट तामीरशुदा मकान एवं भूखण्ड संख्या 66 के दक्षिणी भाग के साथ चिपती खांचा भूमि में तामीरशुदा दूकानें जिनमें वर्तमान में आटा चक्की व किरयाणा स्टोर अप्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा को घरेलू बंटवारे में बिना किसी शर्त के अपने पिता अपीलार्थी शेर सिंह शर्मा से प्राप्त हुआ था, जिसे अपीलार्थी उसे वापिस प्राप्त करना चाहता है।

विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी ने अपने पुत्र दिनेश कुमार के विरूद्ध माता पिता एवं विरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रस्तुत कर **विवादित मकान 2 एम एल नाथवाला में 45 गुणा 120 फुट का कब्जा दिलवाने की प्रार्थना के साथ** पेश किया है तथा **भरण पोषण की मांग भी की हैं।** **अपीलार्थी ने विचाराधीन प्रकरण अपने पुत्र दिनेश कुमार शर्मा के विरूद्ध पेश किया है जबकि उसके तीन अन्य पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र शर्मा एवं कपूर चन्द शर्मा तथा दो पुत्रिया गीता शर्मा एवं रमा शर्मा भी है।** अपीलार्थी ने अपने तीनों पुत्रों **सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र शर्मा एवं कपूर चन्द शर्मा एवं पुत्रियों गीता शर्मा एवं रमा शर्मा** से किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग भी नहीं की है।

वर्तमान में विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी ने उक्त विवादित मकान **2 एम एल नाथवाला में 45 गुणा 120 फुट** दिलाने की माग की है, जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए अपीलार्थीगण को उक्त विवादित मकान का कब्जा दिलाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलार्थी उक्त विवादित सम्पत्ति हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट दिनेश कुमार शर्मा से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

4. माता—पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण—

(1) माता— पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण—पोषण करने में असमर्थ है—

(i) माता—पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता—पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता—पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2021 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर अपने पुत्र दिनेश कुमार शर्मा से ही भरण पोषण दिलवाने की मांग की है जबकि अपीलार्थी के तीन पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा, कैलाश चन्द्र शर्मा एवं कपूर चन्द शर्मा एवं दो पुत्रियां गीता शर्मा एवं रमा शर्मा भी है उनसें अपीलार्थी ने किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है जबकि पत्रावली में उपलब्ध घरेलू बंटवारा में अपीलार्थी ने अपने चारों पुत्रों में बराबर–बराबर बंटवारा किया था। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थी 3000/– रूपये प्रति माह प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवायेगा, जिसके लिए प्रार्थी अपना बैंक खाता अप्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 16.03.2021 यथावत् रखा जाता है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर आदेश की पालना करवाना सुनिश्चित [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति [illegible] लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व [illegible] भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर